

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**पशुपालन और डेयरी विभाग**  
**लोकसभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 300**  
**दिनांक 22 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न**

**असम के सूअरों पर अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रभाव**

**300. श्री गौरव गोगोईः**

**क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या सरकार को पता है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने विगत पाँच वर्षों के दौरान असम के सूअरों की संख्या में आठ लाख से ज्यादा की कमी की है;
- (ख) यदि हाँ, तो असम में प्रभावित किसानों और बैकयार्ड सूअर पालन इकाइयों को क्या सहायता प्रदान की जा रही है;
- (ग) क्या सरकार की रोग नियंत्रण, टीकाकरण विकास, या स्वस्थ सूअरों की संख्या को पुनः बढ़ाने में राज्य सरकार की सहायता करने की कोई योजना है; और
- (घ) राज्य में सूअर पालन क्षेत्र में इस प्रकोप को रोकने और आजीविका की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**  
**(प्रो.एस.पी. सिंह बघेल)**

(क) असम राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों के दौरान अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (ASF) के कारण 44596 सूअरों की मृत्यु हुई है और रोग के प्रसार को रोकने के लिए 8295 सूअरों को हटा दिया गया (culled) है।

(ख) पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) के पशु रोग नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (ASCAD) के तहत विभाग ने राज्य की मांग के अनुसार, प्रभावित सूअर मालिकों को मुआवजा देने के लिए हिस्सेदारी के आधार पर अब तक कलिंग (culling) के लिए 225.00 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया है। इसके अलावा, राज्य ने बताया है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान 344 किसानों को उनके सूअरों की कलिंग (culling) के एवज में मुआवजा दिया गया है।

(ग) और (घ) विभाग द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:

- i. अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (ASF) की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के लिए वर्ष 2020 के दौरान अफ्रीकी स्वाइन ज्वर (ASF) पर राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई है, जिसमें आवाजाही पर नियंत्रण, 1 किमी के संक्रमित क्षेत्र से सूअरों को बाहर निकालना (स्टैम्पिंग आउट), सफाई और कीटाणुशोधन, सूअर के भोजन (फीडिंग) पर प्रतिबंध, सूअर के मांस संबंधी सीमाएं और बीमारी के प्रकोप से पहले और उसके दौरान जैव सुरक्षा उपायों सहित और अधिक निगरानी करने

जैसे उपाय शामिल हैं। केंद्रीय टीम की बैठकों और दौरे सहित राज्यों को परामर्शी भी जारी की जाती है।

- ii. पशुधन रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना (CMP) वर्ष 2024 के दौरान तैयार की गई थी, जो पशु रोग के प्रकोपों के प्रबंधन और उनसे निपटने के लिए एक संचित दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसमें शर्वों, विशिष्ट रूप से सूअरों के निपटान की वैज्ञानिक पद्धति और प्रभावी निवारण तथा नियंत्रण रणनीतियों के माध्यम से महामारी के जोखिम के त्वरित नियंत्रण, शमन और उसमें कमी सुनिश्चित करने के उपाय किए जाते हैं।
- iii. एनएलएम के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) के अंतर्गत, दिशानिर्देशों के अनुसार सूअरों के लिए नस्ल सुधार/नस्ल वृद्धि फार्म स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें ऋण देने वाले संगठनों से 90% तक ऋण शामिल है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)-उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) दिशानिर्देशों के अनुसार सूअर फार्म की स्थापना के लिए 50% पूँजीगत सब्सिडी प्रदान करता है। ईडीपी के अंतर्गत 7.67 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली कुल 13 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और असम राज्य के लिए 6 परियोजनाओं हेतु 1.3 करोड़ रुपये की निधि अनुमोदित की गई है।
- iv. असम राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, निदान, महामारी विज्ञान और टीका विकास के संबंध में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गुवाहाटी, आईआईटी, गुवाहाटी और गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, लुधियाना की एक संयुक्त डीबीटी अनुसंधान परियोजना शुरू की गई है। वर्तमान में एसएफ (ASF) हेतु कोई टीका उपलब्ध नहीं है।
- v. असम राज्य "उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं के माध्यम से असम में सुअर क्रांति (PRAtahm)" परियोजना के तहत उच्च आनुवंशिक गुणता वाले पशुओं को वितरित करके सूअर पालकों की सहायता कर रहा है।
- vi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, अनुसंधान और नवाचार, क्षमता निर्माण और अच्छी पशुपालन प्रथाओं, जैव सुरक्षा/स्वच्छता उपायों, वैक्टर नियंत्रण आदि विषयों पर प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2024-25 के दौरान असम राज्य को एससीएडी (ASCAD) के तहत 377.885 लाख रुपये की निधि प्रदान की गई थी।

\*\*\*\*\*